



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

विशेष अपील संख्या - 270 वर्ष 2026

पंकज कुमार पाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव कार्मिक, लखनऊ और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नवनीत यादव, आहुति अग्रवाल, अभिषेक खरे, मो. यासिर
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, राज कुमार उपाध्याय
(आर.के.उपाध्याय)

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति रजनीश कुमार

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. प्रत्यर्थी संख्या-4 की ओर से श्री रवि शंकर तिवारी, अधिवक्ता द्वारा दाखिल उपस्थिति का ज्ञापन (मेमो ऑफ अपीयरेंस) अभिलेख पर लिया जाता है।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नवनीत यादव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी संख्या-4 के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि शंकर तिवारी को सुना गया।
3. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-ए संख्या 6077 वर्ष 2026 (पंकज कुमार पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 09.06.2026 को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली गई है और याची की अभ्यर्थिता को रिट याचिका के निर्णय के अधीन रखा गया है, किंतु मुख्य परीक्षा दिनांक 13.06.2026 को निर्धारित है और यदि याची को परीक्षा में, भले ही अनंतिम रूप से सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो रिट याचिका के निस्तारण के समय उसकी अभ्यर्थिता योग्य पाए जाने पर भी उसे इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः वे आक्षेपित आदेश को निरस्त करने अथवा उसमें कम से कम इस सीमा तक संशोधन करने की प्रार्थना करते हैं कि उसे परीक्षा में अनंतिम रूप से सम्मिलित होने की अनुमति दी जाए तथा रिट याचिका के निर्णय के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत एक पद सुरक्षित रखा जाए।
5. वे आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि याची ने सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला शाखा)-जीव विज्ञान के पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया था तथा उसने प्रारंभिक परीक्षा में खेल कोटे का दावा नहीं किया था, किंतु विज्ञापन संख्या ए-5/ई-1/2025 दिनांक 28.07.2025 में उल्लिखित फॉर्म भरने की प्रक्रिया के अनुसार प्रणाली (सिस्टम) द्वारा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उसके 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' (ओ.टी.आर.) से 'अभ्यर्थी के अन्य विवरण' के अंतर्गत इसे स्वतः ले लिया गया था। उक्त विज्ञापन के क्रम में ही आवेदन प्रारूप भरा गया था और याची प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हुआ था तथा उसे मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया गया है।

6. वे आगे तर्क देते हैं कि मुख्य परीक्षा के फॉर्म में राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय कुशल खिलाड़ियों की श्रेणी है और प्रणाली (सिस्टम) द्वारा इसके समक्ष 'हाँ' का विकल्प स्वतः ले लिया गया है, जबकि याची का वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओ.टी.आर.) यह दर्शाता है कि वह उक्त श्रेणी में नहीं था, अतः याची द्वारा इसे भरे जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अन्यथा भी तर्क यह है कि याची ने खेल श्रेणी के अंतर्गत दावा नहीं किया है और उसने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि खेल कोटा श्रेणी के अंतर्गत दावा किया ही नहीं जा सकता था क्योंकि याची जिला स्तरीय खिलाड़ी है और विज्ञापन के अनुसार केवल राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुशल खिलाड़ी ही उक्त श्रेणी के लिए पात्र थे। अतः तर्क यह है कि इस पर विचार करते हुए यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर प्रति-शपथपत्र आमंत्रित किया है, किंतु अपीलार्थी को परीक्षा में यहाँ तक कि अनंतिम रूप से भी सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी है। यदि परीक्षा आयोजित हो जाती है, तो इस न्यायालय द्वारा याची की अभ्यर्थिता सही पाए जाने पर भी उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा और उस स्थिति में याची को क्षति होगी। अतः प्रार्थना है कि आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाए अथवा कम से कम उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाए।

7. प्रत्यर्थी संख्या-4 के विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का घोर विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि यदि याची द्वारा श्रेणी गलत भरी गई थी, तो

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उसके पास विज्ञापन के अनुसार इसे सुधारने का अवसर था, किंतु वह निर्धारित अवधि में ऐसा करने में विफल रहा, इसलिए वह यह दावा नहीं कर सकता कि वह कुशल खिलाड़ी की श्रेणी का दावा नहीं कर रहा है तथा उसे उक्त श्रेणी में सही माना गया है। इसके अतिरिक्त तर्क यह भी है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा याची के हित को पहले ही संरक्षित किया जा चुका है। अतः वे प्रस्तुत करते हैं कि अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने के पश्चात् एवं अभिलेख के अवलोकन से हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश को प्रकरण विचारणीय प्रतीत हुआ है, इसीलिए प्रति-शपथपत्र आमंत्रित किया गया है और तिथि नियत की गई है। जहाँ तक प्रारंभिक परीक्षा फॉर्म में याची द्वारा दावा की गई श्रेणी का प्रश्न है, वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) प्रतीत होती है। यह न्यायालय भी इस बात को समझने में असमर्थ है कि एक अभ्यर्थी, जो राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर का कुशल खिलाड़ी नहीं है, जिला स्तर का खिलाड़ी होते हुए कुशल खिलाड़ी की श्रेणी के अंतर्गत आवेदन क्यों करेगा, जबकि उसे इससे कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। यद्यपि हम पाते हैं कि यदि रिट याचिका के निस्तारण के समय याची उपयुक्त पाया जाता है, तो भी उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकेगा क्योंकि परीक्षा 13.06.2026 को निर्धारित है और यदि यह आयोजित हो जाती है, तो एकल अभ्यर्थी के लिए पुनः परीक्षा कराने का निर्देश देना कठिन हो सकता है तथा एक बार सभी पद भर जाने के बाद याची की अभ्यर्थिता योग्य पाए जाने पर भी उसे कुछ हासिल नहीं होगा। अतः इस न्यायालय का यह विचार है कि आक्षेपित आदेश संशोधित किए जाने योग्य है।

9. तदनुसार हम विशेष अपील को **आंशिक रूप** से स्वीकार करते हैं और आक्षेपित आदेश दिनांक 09.06.2026 को इस सीमा तक संशोधित करते हैं कि याची को दिनांक 13.06.2026 को अथवा स्थगित होने की दशा में किसी आगामी तिथि को आयोजित होने वाली सहायक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अध्यापक (पुरुष/महिला शाखा)-जीव विज्ञान के पद की मुख्य परीक्षा में अनंतिम रूप से सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। यद्यपि न्यायालय की अनुमति के बिना उसका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। यह भी उपबंधित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) श्रेणी का एक पद रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान सुरक्षित रखा जाएगा।

10. यह अपेक्षा की जाती है कि पक्षकार रिट-ए संख्या 6077 वर्ष 2026 पंकज कुमार पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में नियत तिथि से पूर्व शपथपत्रों का आदान-प्रदान कर लेंगे तथा नियत तिथि पर प्रकरण में अंतिम बहस करेंगे।

11. नियमानुसार सामान्य शुल्क के भुगतान पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को आज ही इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जाए।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती) (न्यायमूर्ति रजनीश कुमार)

जून 11, 2026

सौरभ

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।